प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक–280 /सम्प्रेक्षा/2012 लखनऊ:: दिनांक :: 15 जून, 2012

विषय–वित्तीय वर्ष 2012–13 में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत सामान्य मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–जीओ–03/सम्प्रेक्षा/आई0ए0वाई0(सामान्य)/2012–13, दिनांक 26 अप्रैल, 2012 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या–426/38–4–12–29बजट/2012, दिनांक 19–4–2012 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 49,82,75,000/– (रू0 उन्चास करोड़ बयासी लाख पच्चहतर हजार मात्र) जनपदों को आवंटित की गयी है ।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि इंदिरा आवास योजना पूर्व में राजस्व मद में लेखाशीर्षक–2505–01–702–01–05–27 के अन्तर्गत संचालित की जा रही थी, अतएव शासन द्वारा लेखा अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि इसी लेखाशीर्षक के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी थी एवं तदनुसार इसे जनपदों को आवंटित किया गया था । इंदिरा आवास योजना को वित्तीय वर्ष 2012–13 के व्यय के ब्यौरेवार अनुमान में पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्षक–"4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय–03–ग्रामीण आवास–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0101–इंदिरा आवास योजना (जिला योजना)–35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है । अतः इस कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 26–4–2012 के बिन्दु संख्या–07 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"इस संबंध में होनें वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक–4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय–03–ग्रामीण आवास–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0101–इंदिरा आवास योजना (जिला योजना)–35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा ।"

इस कार्यालय के पत्र दिनांक 26–4–2012 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये । पत्र में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेगें ।

इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लेखाशीर्षक–2505–ग्राम रोजगार से कोई आहरण न किया जाये । मुख्य विकास अधिकारी, झांसी एवं कॉशीराम नगर द्वारा अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत इंदिरा आवास योजना की लेखाशीर्षक–2505 ग्राम रोजगार से आहरित धनराशि सही लेखाशीर्षक–4216–आवास पर पूंजीगत परिव्यय में पुस्तांकन कराने हेतु कोषागार से अनुरोध कर रिक्वीजीशन फॉर करेक्शन ऑफ एकाउन्ट्स, महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित कराना सुनिश्चित किया जाये ।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।

पत्रांक– 280/सम्प्रेक्षा/2012–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
3– सचिव, डा0 अम्बेडकर ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5– समस्त जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उ0प्र0 ।
6– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2, वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग–2/ नियोजन अनुभाग–4
8– ग्राम्य विकास अनुभाग–3/4, उ0प्र0 शासन।

(अनुराग श्रीवास्तव)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।

Desktop\Nasim\CFO.docx